

11  
३१/१२



उत्सर्जित,

न्यायालय मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी,  
मुजफ्फरपुर।

परिवाद पत्र सं० <sup>F</sup> 5750/2022

नाम मुद्दई : सुधीर कुमार ओझा पिता स्व० कृष्णदेव ओझा, उम्र 53 वर्ष,  
अधिपक्षता, ग्राम- लहलादपुर पताही, थाना-सदर, जिला-  
मुजफ्फरपुर & मो० न०-

व ना म

नाम अभियुक्ताण : 1. शाहरूख खान अभिनेता  
2. दिपिका पाडूकोन अभिनेत्री  
3. आदित्य चोपरा निर्माता  
4. जौन इब्राहिम अभिनेता  
5. सिद्धार्थ आनंद निर्देशक

सभी निवासी मुम्बई, महाराष्ट्र

घटना स्थान : परिवादी का घर लहलादपुर पताही, थाना-सदर,  
जिला-मुजफ्फरपुर।

घटना तिथि : दिनांक 15/12/22 समय रात्रि 9 बजे।

जुर्म दफा : 294, 297, 298, 153, 504 भा. द. वि.

धाना इतिहास

: हुआ, कोर्ट में केस करने को कहा।

नाम गवाहान

: 1. मुन्निद्र सिंह पिता नामालूम

साकिन सुतपट्टी, धाना-नगर, जिला-मुजफ्फरपुर।

2. सुरज कुमार पिता नागेश्वर भात

साकिन तारमसपुर, धाना-कांठी, जिला-मुजफ्फरपुर।

3. बिनोद कुमार पिता स्व० मुनीलाल

साकिन छोट भावतीपुर, धाना-अहियापुर, जिला-

मुजफ्फरपुर।

4. साधना सिंह पति मनोज कुमार सिंह

साकिन पुष्पोत्तमपुर, धाना-मनियारी, जिला-मुजफ्फरपुर।

अन्य गवाहान का नाम अकब से देंगे।

कै फि य त :-

कुलसा हाल नालिस का यह है कि अभियुक्तगण साजिश

व षडयंत्र के तहत जानबूझकर अश्लीलता फैलाने व एक विशेष धर्म की आस्था को

ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से फिल्म पठान का निर्माण, निर्देशन, फिल्मांकन किया व

कराया है जिसे यूट्यूब व अन्य चैनलों के माध्यम से ट्रेलर रिलिज किया जा रहा है। फिल्मों के क्रम में एक गाना फिल्माया है जिसमें बेगम रंग कहा देखा दुनिया वालों ने पर अलीलता फैलाने के साथ-साथ हिन्दु भावनाओं को ठेस पहुँचाने के उद्देश्य से भगवा रंग को गलत तरीके से प्रस्तुत की गई है, जिसको परिवारी देखकर काफी मरमाहत हुए, फिल्म को अविलम्ब रोक लगाने एवं कानूनी कारवाई हेतु परिवारी यह परिवार पत्र दाखिल कर रहे हैं।

फ़ैल मुदालहम सरासर नाजायज व मुजरी बाना है, व तलब सम्मन कर सजा फरमाया जाये।

सुकर गुण्ड कोण  
अर्जी फ़िदवी

  
16/12/22